यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस पर डिस्पकशन कराएं । जैन विशुद्ध वनस्पति के द्वारा हिन्दू धर्म के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है । हम इसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं । (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Pandit, you may continue. We have already discussed this.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : It is now understood that the manufacturers are trying through their tricks and corrupt practices to get the goods cleared from Bombay docks. It is also understood that some of them have agreed [to the clearance of the goods against a token or small penalty.

I appeal to the government to immediately institute an enquiry into the import of beef-tallow and not allow the Vanaspati Manufacturers to clear the goods at any cost. It would be wise to ban import of beef-tallow by Vanaspati industries, who have captive soap plants in the same compound or same places.

Once again, it seems very essential that the Ministry of Commeree should finally and clearly spellout their policy for import of beef-tallow, its control, its distribution to the industries and surveillance on its utilisation. May I request the Government to make statement in this matter?

MR. DEPUTY-SPEAKER : SHRI Halder.

(x) Measures To Check The Tilting Of The Bodh Gaya Dome

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to the following matter of urgent public importance under Rule 377.

The topmost 'Gumbaj (dome), the world famous Bodh Gaya temple weighing about 100 maunds has developed a tilt. It is learnt that Registering Officer of the Archaelogical Department stationed in Gaya has confirmed this. The temple visited by lakhs of Buddhists of the world, every year. The Archaelogical Department of the Union Government should take proper steps and should depute experts to study the tilting dome. An early investigation of the tilting dome should be done before any damage is caused to the ancient monument. It is said that the Budh Gaya temple is managed by trust on which the Union Government is also represented.

Every year, lakhs of domestic and foreign tourists visit the temple and through which our country is getting a large amount of valuable foreign exchange.

In the circumstances, I would urge upon even the Government and Minister concerned to make a statement in the House and take proper steps to save the ancient monument from damage.

15.18 hrs.

DANGEROUS MACHINES (REGULATION) BILL

MR. DUPTY-SPEAKER : We now go to the next business. Hon. Members, it has been already announced by the hon. Speaker this morning thet we would complete our legislative business. We have to take up the Shri Lanka discussion at 5 O'Clock.

Therefore, I would request all the hon. Members to complete this Bill—the conderation and passing of the Bill after the clausse-:by-clause consideration. I wouled, therefore, request all hon. Members who participate in the discussion to be as brief rs possible.

Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (RAO BIRENDRA SINGH) : Sir, I beg to move.

"That the Bill to provide for the regulation of trade and commerce in, and production, supply, distribution and use of, the product of any industry producing dangerous machines with a

[Rao Birendra Singh]

view to securing the welfare of labour operating any such machine and for payment of compensation for the death or bodily injury suffered by any labourer while operating any such machine, and for matters connected therewith or incidental there to, be taken into consideration."

Sir, I won't take much of the time of the Houie since it is already short of it. Feeling deeply concerned at the large number of accidents from threshers, The Prime Minister wanted that we should regulate the use of these dangerous machines, on 16th October. 1981 a notification was issued by the Goveanment of this was called Power Threshers Regulation Order. This was to restrict the manufacture, storge and sale of threshers which were not safe in opration but this was not found to be adequate. Now. through this comprehensive Bill we want to regulate the use of these machines and we want to provide for a machinery to administer the Act to provide for insurance to be taken on use of dangerous machines and for payment of compensation. I hope the House will welcome this measure and give its clearance.

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the regulation of trade and commerce in, and production, supply, distribution and use of the product of any industry producing dangerous machines with a view to securing the welfare of labour operation any such machine and for payment of compensation for the death or bodily injury suffered by any labourer whele operating any such machine, and for matters connected therewith or incidental there to, be taken into consideration."

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततः मैं राव साहब के बिल का समर्थन करता हूँ। क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने भी जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि इन्टरेस्ट लिया है, लेकिन पता नहीं किया है या नहीं लिया है। यदि लिया है, बहुत अच्छी बात है।

राव बीरेन्द्र सिंह : सही बात बता रहा हूँ।

श्री जगपाल सिंह : हर वर्ष हजारों लोगों के हाथ-पैर कट जाते हैं। राव साहब को हरियाणा और पंजाब के बारे में पता होगा और ईस्टर्न यू. पी. व बिहार के गरीब लोग हर वर्ष ट्रेन की छत पर बैठ कर जाते हैं और गिर कर मर जाते हैं। जिसका हिसाब शायद सरकार के पास नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा में खुले आम जिस तरह से रात भर मजदूरों को काम पर लगाया जाता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिजली की स्थिति यह है कि मजदूरों को पता नहीं होता है कि बिजली आएगी या नहीं आएगी और आएगी तो कब तक रहेगी। उस गरीब मजदूर को काम करने के लिए सारी रात जागना पड़ता है और ऊपर से मशीने इस कदर खराब हैं मैंने देखा है कि किसी किसी मजदूर के दोनों हाथ और दोनों पैर कट जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आप बिल लाए हैं, यह आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको लागू करने के लिए आप को बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। राव साहब आप कानून तो बना देते हैं, लेकिन उस कानून के इम्पलीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है; जिसकी वजह से गरीब आदमी को पूरा लाभ नहीं मिल पता है। जहां तक मशीनों के माडल बनाने का सवाल है, इस पर आप को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मैं खास तौर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप इस काम में जल्दी कीजिए। हर साल आपके सामने यही समस्या पैदा होती है। आपने

अच्छे माडल्स को अभी तक फिक्स नहीं किया है । आप दो-तीन अंशर फिक्स कर दीजिए और पूरे देश के लिए एक जैसा मांडल रखिए, जब आप पूरे देश के लिए एक कानून बना रहे हैं । उनमें फिर फर्जी लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए कि जिस तरह का चाहा मांडल बना दिया और ब्यूरोक्रेट्स के पास जाकर उस मशीन के कनूनों को पास करा लिया । इस लिए मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में एक ही तरह के मांडल को पास करें ।

एक बात मैं कम्पैसेशन के बारे में कहना चाहता हूँ । कम्पैसेशन एक्ट भी पहले से बहुत हार्ड है । इसको कोई गरीब आदमी नहीं समझ सकता है । कोई भी गरीब आदमी ए.आर.सी.ओ. की कोर्ट से लेकर डी. पी. की कोर्ट तक के जजमेंट से सम्बन्ध नहीं रख सकते हैं, चाहे हरियाणा और पंजाब के अन्दर बड़े-बड़े जमीदार ही क्यों न हों । उस गरीब आदमी को हाई कोर्ट तक कम्पेसेशन एक्ट के अनुसार मुकदमा लड़ना पड़ता है । कम्पेंन्सेशन का जो प्रावीजन आप कर रहे हैं, अगर आप गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो लेबर इंस्पेक्टर के लिये कम्पलसरी होना चाहिये कि इस तरह की सूचना मिलने पर वह तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे और यह सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी जमीदार की या किसान की होनी चाहिये जिस के यहां मजदूर काम करता है । कम्पेंसेन्शन के कानून को थोड़ा लचीला बनाइये । आज जमीदार कानून का फायदा उठा कर यह साबित करना चाहता है कि वह आदमी वहां मजदूर नहीं था, बल्कि उस का हिस्सेदार था । चूंकि वह हिस्सेदार था, इस लिये कम्पेन्सेशन का भागीदार नहीं होना चाहिये । आप कम्पेन्सेशन के लिये एक्ट में प्रावीजन कीजिये जिस से चाहे वह हिस्सेदार हो, टेम्परेरी हो, परमानेन्ट हो, डेली-वेजेज पर हो, जमीदार से सूचना मिलते ही लेबर डिपार्टमेन्ट या कोर्ट का इन्स्पेक्टर फौरन वहां जाय, मौके पर गवाहियां ले, उसके बाद कोर्ट डिसीजन दे दें । आप को चाहे इस कानून में अमेण्डमेन्ट करना पड़े, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करें जिस से किसी गरीब आदमी को हाई-कोर्ट तक मुकदमा न लड़ना पड़े । इस का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो जाना चाहिए कि कितना कम्पेन्सेशन ऊंगली कटने पर, कितने कम्पेन्सेशन एक बाजू कटने पर और कितना कम्पैंन्सेशन दो बाजू कटने पर दिया जाना है और इस चीज को भी कानून में डिफाइन किया जाना चाहिये । इस में किसी भी तरह की छूट का प्रावीजन नहीं होनी चाहिये ।

अगर उस कम्पेन्सेशन को आप के डिपार्टमेन्ट के अफसर या लेबर कोर्ट न दिलवायें तो उन के खिलाफ डिस्पिलनरी एक्शन की कार्यवाही करें । मैं आप को पंजाब की हालत बतलाना चाहता हूं अगर किसी का बाजू कट जाय तो उस का इलाज भी नहीं कराते हैं और अस्पताल में भी किसी दूसरे के नाम से भरती कराते हैं । वक्त आने पर कह देते हैं कि मेरे यहां नौकर नहीं था, अगर मेरे यहां नौकर होता तो मैं अस्पताल में एडमिट कराता । मैं चाहता हूं कि कानून में इसके लिये सख्त से सख्त प्रावधान होना चाहिये । अगर कोई आदमी वक्त से कार्यवाही नहीं करता है या उस आदमी की नौकरी के बारे में इन्कार करता है तो उस के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ।

आप इस बिल को लेकर यहां आये हैं, इसके पीछे आप की जो मंशा है उस की मैं सराहना करता हूं । ईस्टर्न यू. पी. से नौजवान, यहां तक कि बच्चे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मां-बाप को छोड़ कर पंजाब

[श्री जगपाल सिंह]

और हरियाणा में काम करने के लिये आते हैं। बदकिस्मती से अगर उनका एक बाजू कट जाय तो अपंग हो कर, भिखारी बनकर अपने प्रदेश को लौटते हैं, क्योंकि बाजू कट जाने से फिर उन को मजदूरी नहीं मिलती। इन लोगों के सामने भूखा मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके कम्पेंसेशन के लिये एक फण्ड बनाये और अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो स्टेट गवर्नमेन्ट्स को हिदायत दें कि वे अपने यहां एक कम्पेन्सेटरी फण्ड चालू करें और जो कम्पेंसेन्शन दिया जाना है वह भी फिक्स किया जाये, जैसे एक बाजू कटने पर 5 हजार रु. दो बाजू कटने पर 10 हजार रुपये दिये जायें आज क्या होता है कि उस गरीब को हाई कोर्ट तक मुकदमा लडने जाना पड़ता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह मुकदमा लड़ सके, लिहाजा वह दो-चार सौ रुपये में ही फैसला कर लेता है। इसके सिवाया उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसी लिए मैंने सुझाव दिया है कि उस का मुकदमा नीचे के स्तर पर ही निबट जाना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फैसला हो जाना चाहिये, उसको लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर तक न जाना पड़े। अगर फैसला होने में देर लगती है तो प्रदेश की सरकार या केन्द्र की सरकार उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करे। इस देश में थ्रेशिंग के पीरियड में दस-बीस हजार केसेज ऐसे होते होंगे। इसलिए मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि मुआवजा देने के लिए एक फन्ड आप इसमें रखिये जिससे उन लोगों को कुछ साधन मुहया हो सकें। उन को दुकाने दिला सकते हैं और छोटे-मोटे धंधे करा सकते हैं। आप की सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चला रखा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इसको प्रायरटी दे कर आप इस तरीके का फंड उस में करा सकते हैं और उन प्रोग्रामों में इस प्रोग्राम को भी जोड़िये कि जिन लोगों के हाथ और पैर मशीनों से कट गये हैं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उनको मुआविजा दे। तभी मैं समझता हूं कि इन गरीब लोगों का कुछ भला हो जाएगा। इसके लिए सरकार को करोड़ रुपये का ही खर्च उठाना पड़ेगा और उससे ज्यादा का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अगर राव साहब उचित समझे, तो इस बिल को सलेक्ट कमेटी को वापस भेज सकते हैं क्योंकि कुछ माननीय सदस्य इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में हैं लेकिन अगर आप इसको वहां नहीं भेजना चाहते हैं, तो फिर अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए ताकि अपंग लोगों को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो और जल्दी उन को इसका लाभ मिले।

एक माननीय सदस्य : एक तरफ तो आप चाहते हैं कि इस का इम्पलीमेंटेशन जल्दी हो और दूसरी तरफ आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कह रहें हैं।

SHRI JAGPAL SIGH : I am not in fabour of sending this Bill to a Select Comitte, thoug some members want it...

(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nobody has givin any amendment.

श्री जगपाल सिंह : मैं चाहूंगा कि इसका इम्पलीमेंटेशन जल्दी हो। आप नये सिरे से इस के लिए मशीनरी बनाएं। ऐसे

जो केस होते हैं, वे किस तरह से तय होते हैं। इ. ग्रार. सी. ग्रो. का प्रोविजन है ग्रौर ए. डी. एम. (ई) इनको तय करता है लेकिन कोई केस ऐसा नहीं है जहां पर जोर जबर्दस्ती करके परेशान ग्रौर मजबूर न करके जमींदार उसको कम्पाउन्ड न करा लेते हों। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह नान-कम्पाउन्डेबिल होना चाहिए। ग्रौर इसके साथ ही साथ यह नान-कागनीजेविल भी होना चाहिए ग्राज इस तरह के बहुत से केस होते हैं जाते हैं जहां पर कम्पेंसेशन दे कर केस को कम्पाउन्ड करा लिया जाता है ग्रौर ग्रापकी जो मशीनरी है, वह समझौता-वादी रूख ग्रपनाती है। इसलिए ऐसा प्रोविजन इस में होना चाहिए कि यह नान-कम्पाउन्डेबिल हो।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिना मुकदमा चलाए ग्रगर यह कम्पाउन्ड हो जाए, तो फिर क्या एतराज है।

श्री जगपाल सिंह : मेरा पास्ट एक्सपीरियन्स यह है कि समझौता तभी करते हैं जब कि उन को यह पता होता है कि कोर्ट में केस ले जाने पर 15 हजार रुपया देने पड़ेंगे। इसलिए 5 हजार रुपया दे कर समझौता करा देते हैं। मैं इन्टीरियर देहात का रहने वाला हूं ग्रौर मैं जानता हूं कि कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है, जहां पर दबाव दे कर या जोर-जबर्दस्ती दे कर के समझौता न किया जाता हो। जब वह भूखा मरने लगता है, तब समझौता करा कर मामला खत्म कर दिया जाता है। इसलिए मैं इस सुझाव के साथ ग्रपनी बात खत्म करता हूं कि ग्राप एक फण्ड इस के लिए बनाएं ग्रौर उम्मीद करता हूं कि ग्राने वाली फसल से पहले ही कोई ऐसी मशीनरी इस के लिए बनेगी, जिस से ग्रपग लोगों को लाभ पहुंचेगा।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very glad that the hon. Minister for Agriculture has brought forward this Bill before this house. Till now, compensation was being given only to the factory labours, who lost their limbs or died while operating the machines. It is now a historic event that he is extending the same to the agricultural sector also and I have to congratulte the hon. Minister. Agricultural Labources will also be covered now.

First, I would like to mention that in the defination, some flexibility is there; it is viry good thing. Insted of saying only a power thresher, it has been said that by notification in the official Gazette, the Central Government can specify as dangerous machine any such machine intended to be used in the agricultural or rural sector. However, I would like to tell one thing to the Agricultural Minister. In the Statement of objects and Reasons, apart from the power threshers, it has been said that sugarcane crusher are also dangerous machines. And when the safety devices were devised by the ICAR. Agricultural Engineering Section, I had written to the Minister to see that they are disigned even for sugar-cane crushers. On my request the safety devices have already been devised. Therefore, there is no defficulty in notifying sugar-cane crushers with this. There are shaft-cutting machines, there are cotton ginning machines, wood-cutting machines, tractors and so many others things. therefore, I want an assurance from the Hon. Minister that it will be notified immediately in the case of sugar-cane crushers. Threshers are in the wheat belt only. But Sugar-cane crushers are there throughout the country and they are more in number and the number of accidents with them are also more. Therefore, it a better if sugar-cane crutsher is notified as a dangerous machines as soon as possible. I hope that it will be done.

When I was touring Punjab, Haryana,, and UP, I left very glad because of the progress taking place there, These accidents also happen there and

[Shri P. Rajagopal Naidu]

labourers and others are very much affected: When Shri Anjaia was the Labour Minister, I brought a Bill to give compensation not only for the agriculture labour, but also for the marginal and small farmers, when they are involved in such accidents. A definite assurance was given on the floor of the House that a Bill will be brought here. Sir,this Bill has been formulated on the basis of the Compensation Act. The Compensation Act says that the Employer should pay the whole Compensation. But, Sir, in industry, the industrialist is a millionnaire and he can pay the compensation very easily. But here many of the farmers will not be able to pay compensation as much as is required. Therefore, what we say is that the Government also should come to the need of the farmer and that Government should share the compensation so that it may be a less burden on the farmer also.

The other thing is that this Act does not cover the marginal farmers or the small farmers, who are doing cultivaton and who are using thier own crusher and their own thereshers. There by suppose they are involved in an accident with their own crusher and lose their limb or they die, then there is no compensation paid to them. Who is to pay compensation then ? As a walfare measure the Government should pay. Tterefore, that also must be covered in this. There must be two catagorics of the Act—compensation to be paid to the worker by the employer and shared by the government; the other is of a marginal farmer or a small farmer is involved in an accident and loses his limp or dies, then the Government should pay compensation to him. If an official dies then Rs. 10,000 are paid to him. Just like that. I am telling this only to strengthen the hands of the Minister so that these people are also coverd.

Snppose a person is having three or four acres in our area or in the Madras State.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the State's name has been changed to Tamil Nadu.

SHRI P. RAJGOPAL NAIDU : Yes, in Tamil Nadu even a person who is owing two or three acres, he is having a sugar-cane crusher. And he himself is cultivating, and he himself is driving the crusher. And if he losses his limb, there is no one to help him. Therefore, this category of people must also be coverd. There was an assurance by Mr. Sanjivayya, the then Labonr Minister that he would bring a Bill. Therefore, I say that if it is not possible to bring in those people also, under this Bill. the Minister may kindly bring an amendment to this Bill, so that they may also be covered.

The facility of insuring the crushers for accidents also, is there in this Bill. But I want to know which agency is going to insure them. There is the General Insurance Corporation. Is it going to insure them ? It is not mentioned here. Suppose I want insure my sugarcane crusher for these accidents, then the Generl Insaurance Carporation may not agree. So, it must be definitely said that the General Insurance Corporation must take the initiative. If not, it may not be possible for the farmers to insure.

With regartd to the registration of these things, he can apply. After applying, it is know when it is going to be registered. Unless it is registerd within one month or by any targetted date, what will the farmers do ? They will be penelized if they are not registered. Suppose he applies in January; and it is not going to be done even in March, how is he going to crush his cane, or run his thresher ? How can he do it ? So, there must be a targetted date i.e. within I or 2 months it must be registered. If it is not going to be registerd by then, it must be deemed that it has been registered.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बिल यहां पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें जो 2-3 खामियां रह गई हैं, उन

की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बिल को पढ़ने से लगता है कि बिल बनाने वाले बिल की मंशा को नहीं समझे हैं।

थ्रेशर के बारे में कहा गया है जो कि शुद्ध किसान के लिए है। इसके लिए इतनी फार्मेलिटीज रख दी गई हैं जैसे कोई बड़ा भारी टाटा-बिड़ला की पब्लिक सेक्टर का उद्योग हो।

बिल के पृष्ठ 11 में धारा 23 (1) में लिखा है—

"जहां किसी प्रचालक की मृत्यु या उस के किसी अंग का भंग या उसको कोई अन्य शारीरिक क्षति उसके नियोजन के दौरान होती हैं वहां ऐसी मृत्यु, अंग-भंग या क्षति की सूचना ऐसी मृत्यु अंग भंग या क्षति होने की तारीख से तीन दिन के भीतर नियोजक को दी जाएगी।

यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि जिस किसान के यहां मजदूर काम करता हो तो ऐसी परिस्थिति में वह तीन दिन तक किसको सूचना देगा। आगे लिखा है

"ऐसी सूचना प्रचालक द्वारा यदि वह जीवित है या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाएगी।"

"इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर प्राप्त करने के हक से वंचित नहीं करेगी।"

पेज 12 पर देखें। इसमें कहा है।

"जब कभी निरीक्षक को उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा किसी मृत्यु या क्षति की जानकारी होती है तब वह यथा संभव शीघ्र उस परिसर में प्रवेश करेगा जिसमें वह खतरनाक मशीन स्थित है जिसके द्वारा ऐसी मृत्यु, अंग-भंग या अन्य शारीरिक क्षति कारित हुई है और यह पता लगाने के लिए मशीन का परीक्षण करेगा कि मशीन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकथित मानकों के अनुरूप है या नहीं और उसमें सभी विहित सुरक्षा युक्तियां हैं या नहीं और जहां ऐसे परीक्षण के पश्चात उसकी यह राय है कि मशीन असुरक्षित है, वह आदेश द्वारा ऐसी मशीन का उपयोग तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर देगा जब तक कि वह उस के द्वारा सुरक्षित प्रमाणित नहीं कर दी जाती है।"

आपकी नीयत साफ है लेकिन जिस किसी ने भी इसको तैयार किया है, उसने आपके मंशे को समझने की कोशिश नहीं की है। मंत्री महोदय स्वयं बहुत अच्छे और बड़े किसान हैं। वह जानते हैं कि जब भी किसान के पास कोई आदमी काम करता है, मजदूर काम करता है, उसको जानकारी रहती है, उसको मालूम होता है कि कौन आदमी क्या है। उसके लिए वह आवेदनपत्र देगा यह क्यों। मालूम पड़ता है कि फैक्ट्री का कोई बहुत बड़ा मालिक हो। तीन दिन के अन्दर यह करेगा, वह करेगा इस सब की क्या जरूरत है। इसी लिए मैं कहता हूँ कि आपकी नीयत साफ है लेकिन उसके बावजूद भी जिसतरह से इसको बनाया गया है वह ठीक नहीं है। इतना मोटा इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। दो पेज में इसको बनाया जा सकता था और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता था।

जब भी कानून बनाया जाता है उसकी

[श्री रामविलास पासवान]

गिरफ्त में इंडस्ट्रियलिस्ट छूट जाए, इसका कोई न कोई रास्ता छोड़ दिया जाता है। साइन्स इतनी ज्यादा डिवेलेप कर रही है, तकनीकी इतना ज्यादा डिवेलेप कर रही है. क्या थ्रेशर या चारा काटने वाली मशीन इस ढंग से नहीं बनवाई जा सकती है कि उसमें हाथ फंसे ही नहीं, जिसमें गला कटने का डर ही न हो। सेफ्टी मेजर्ज पर सब से पहले ध्यान देने की जरूरत थी। किसान के यहां जो मजदूर काम करता है उसको अगर हानि होती है तो दो मेरे सुझाव हैं। पहला तो यह है कि किसान जो मजदूर रखता है उसके लिए आप दंड का विधान रखते हैं तो कुछ फंड सरकार को भी अपने पास रखना चाहिये, स्टेट गवर्नमैंट या संट्रल गवर्नमैंट के पास वह रहना चाहिये जिस में से मुआवजा दिया जा सके। थ्रेशर वगैरह जिससे खरीदा जाता है उससे आप इसमें पैसा ले। जहां तक इनश्योरेंस का सम्बन्ध है, वह किस के लिए कर रहे हैं ? मजदूर के लिए ही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? उसको भी इनश्योरेंस का अधिकार है या नहीं है, वह करवा सकता है या नहीं करवा सकता है और कौन वह पैसा देगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके लिए दूसरा कराएगा, इम्प्लायर कराएगा।

श्री राम विलास पासवान : इस बिल में कोई भूलचूक हो गई हो तो मंत्री महोदय का दोष नहीं है। उनका जो इन्टेशन है वह साफ है। वह ला डिपार्टमैंट से हुई होगी। उसको ठीक कर लिया जाना चाहिये।

दो तीन कलोजे जिन का इस बिल में समायोजन किया गया है और जिन को मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है, वे मेरी समझ में नहीं आई हैं आपकी ईन्टेंशन्ज मजदूरों के प्रति अच्छी हैं, इसको मैं मानता हूं। अच्छे से अच्छा बिल आपको लाना चाहिये था और इसको छोटा बनाया जाना चाहिये।

किसान छोटा भी होता है। उसके यहां भी मजदूर काम करता है। वह अननिसे-सेरेली तबाही में न पड़े। निश्चित रूप से जो मजदूर है उसके हितों की रक्षा होनी चाहिये जहां मशीन बनती है वहां डुप्ली केट न बने खराब न बने, ऐसी न बने जो हानिकारक हो जिस में लोगों की जान जाने का खतरा हो, जो डेंजरस हो इसके वास्ते यह जरूरी है ऐसी मशीने जहां तैयार होती हैं वहां रोक लगाई जाए। उस में चाहे इन्डस्ट्रीज मिनिस्टरी से बात करने की जरूरत हो या जिस किसी मिनिस्टर की सहायता लेने की जरूरत हो ली जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिस एम्प्लायर के यहां कोई मजदूर काम करता हो, उसका जब जीवन संकट में पड़े तो आसान तरीके से वह कानून का सहारा ले सके आसानी से उसको थाने पहुंचना हो या इन्सपैक्टर के पास पहुंचना हो तो पहुंच सके और तीसरी बात जो हमारे साथी ने भी कही थी वह यह है कि उसको सस्ता न्याय मिले और जल्द मिले, ऐसी व्यवस्था आप करें।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को बहुत लाभ होगा, यही कारण है कि सब तरफ से इनका स्वगत हो रहा है। जब से राव साहब मंत्री बने हैं इन्होंने किसानों के हित के बहुत सारे काम किये हैं। ये विधान इस सदन में लाये हैं, इस लिये बधाई के पात्र हैं।

इस विधेयक के जरिये जिन के कल्याण की बात सोची गई है वह लोग ग्रामीण क्षेत्रों

में बिखरे पड़े हैं। कौन सी ऐसी मशीनरी होगी जिसके जरिये उन सारे लोगों का पंजीकरण कराया जा सकेगा, यह विचारणीय प्रश्न है ? कहीं ऐसा न हो कि बिल तो हमने बना लिया मगर जो मजदूर मिल में काम करते हैं उनका पंजीकरण असंभव हो जाये ? एक तो ऐसी मशीनरी चाहिये जो प्रापर तरीके से आइडिएन्टीफाई कर सके ऐसे मजदूरों की. ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। यदि राज्य सरकारों को यह व्यवस्था करनी है तो इसके विषय में कड़ाई से प्रावधान किया जाना चाहिये। मशीनों को हैंडिल करने का काम नान-टेक्निकल लोग करते हैं. उन लोगों के प्रशिक्षण की भी वांछित व्यवस्था होनी चाहिये।

जैसा भाई पासवान जी ने भी कहा है, जहां यह मशीनरी बनती है, उसके आधुनिकीकरण के विषय में सोचा जाये और आज तो ऐसी मशीनरी के नाम पर डुपलिकेट मशीने ज्यादा बनती हैं, जिनके खराब होने और इंजूरियस होने की ज्यादा संभावना है।

यहां इन्जरी के मापन का, कितने परसेंट तक इन्जरी हुई है और उसके एवज में कितना कम्पैंसेशन दिया जाये, इसका सपष्ट्रीकरण नहीं है। कम्पैन्सेशन एक्ट के अनुसार जब लीगल प्रोसेस में मामला जाता है तो वहां कुछ नहीं निकल पाता साधारण मजदूर जो 5,10 रुपये रोज की मजदूरी कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह कानूनी जंजाल में फंसे अगर आप चाहते हैं कि उसका लाभ मिले तो कम्पैन्सेशन एक्ट में तरमीम होनी चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जुडिशियरी की बजाय कोई एग्जीक्यूटिव मशीनरी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस मामले का फैसला करे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन कुछ सुझावों के साथ। जैसा मेरे दोस्त कह रहे हैं, मंत्री महोदय किसान हैं, इसीलिये कृषि सम्बन्धी खतरनाक यंत्रों से प्रचालकों को बचाने के लिये इस बिल में इन्होंने प्रावधान किया है यह अच्छी बात है। आज देश में खतरनाक मशीने बहुत काफी हैं जिनका इसमें समावेश नहीं है।

यों तो भूसी काटने वाली मशीन है, प्रावर क्रैशर है, सा-मिल है, ट्रैक्टर हैं और कई तरह की मशीने हैं जिसमें सब से खतरा पैदा होता है, उनका इसमें कहीं समावेश नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई त्रुटियां भी हैं।

यह बिल प्रचालकों के हित के लिये है। बच्चों और महिलाओं का काफी नियोजन करते हैं, बच्चों का प्रावधान इसमें है लेकिन महिलाओं का इसमें जिक्र नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : सब शामिल हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : आपने बच्चों का इसमें जिक्र किया है, महिलाओं का नाम नहीं है। आदिवासी हरिजन हमारे बिहार से आते हैं और हरयाणा, पंजाब आदि बहुत से भागों में हजारों की संख्या में इधर काम कर रहे हैं। इस सदन में कई बार यह सूचना दी गई है कि रांची और पालामू के आदिवासियों को पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में इम्पलाय किया जाता है। इस बिल की धारा 23 में कहा गया है कि दुर्घटना या अंग भंग या मृत्यु की सूचना तीन दिन के अन्दर नियोजक को दी जाएगी। अगर रांची के किसी प्रचालक के साथ पंजाब या हरियाणा में दुर्घटना होती है, तो उसके परिवार को कई दिनों तक खबर नहीं मिलेगी। इस प्रकार वह

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

व्यक्ति क्षति पूर्ति से वंचित रह सकता है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह वंचित नहीं रहेगा, लेकिन इसमें साफ नहीं है।

बीमे की पालिसी और उसको रीन्यु करने के विषय में भी और सफाई करने की जरूरत है।

जहां तक रजिस्टेसन का सम्बन्ध है, सरकार को इन मशीनों का कोई मानक, स्टैंडर्ड, तय करना होगा, ताकि उनपर काम करने वालों के साथ दुर्घटना न हो। जो लोग दोषपूर्ण मशीनों को बनाते, बेचते या उनका प्रयोग करते हैं, उनको निलम्बित किया जाएगा, जब तक कि मशीन को माडिफाई न किया जाए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

जो लोग खतरनाक मशीनें बना कर अधिक पैसा कमाने का धंधा करते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, उस दृष्टि-कोण से यह बिल प्रशंसनीय हैं, खासकर इस लिए कि बिल में मजदूरों को बचाने और उनको रिलीफ देने का प्रयास किया गया है। लेकिन देखा गया है कि कुछ क्षति-पूर्ति देने के बाद नियोजक प्रचालकों को निकाल देते हैं, उनका थोड़ा बहुत इलाज करा देते है और उसकी सूचना कहीं नहीं दी जाती है, या पीछे सूचना दी जाती है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त दुर्घटनाग्रस्त लोगों के पक्ष में साक्ष्य देने वाला कोई नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हास्पिटल में भर्ती हो जाए, तो उसके स्वस्थ होने पर यदि कुछ लोग साक्ष्य दें, तो उसके मामले को दर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो जिस अच्छी भावना से यह बिल लाया गया है, उसका लाभ गरीब मजदूरों को नहीं होगा।

इसमें छः महीने की कैद और एक हजार रुपए की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसे आज-कल बहुत ही नगण्य कहा जा सकता है। जो ऐसी मशीनें बनाते और बेचते हैं, वे किसी का हाथ और किसी का पैर कटवाते रहेंगे और अपना धंधा चलाते रहेंगे। इस लिए सजा को और कड़ा बनाने पर विचार करने की जरूरत है।

16 hrs.

यदि सरकार इस बिल को कारगर बनाना चाहती थी, तो उसे किसानों, मजदूरों और सम्बन्धित श्रमिक संगठनों की राय भी लेनी चाहिए थी। लेकिन जो बिल बड़े-बड़े अधिकारियों ने बना दिया, उसको मंत्री महोदय ने यहां प्रस्तुत कर दिया है। उन बेचारों को खेती-बाड़ी का अनुभव तो होता नहीं है इसलिए सही ढंग से समुचित प्राव-धान नहीं हो सके हैं। मैं मन्त्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य मे संशोधन कर के सारी आवश्यक बातों को इसमें रखने की व्यवस्था करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। फसल के टाइम पर जो थ्रेशर चलते हैं उस समय इतना रस होता है कि उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। इस लिए मन्त्री जी को कोई न कोई समय निश्चित करना चाहिए कि कोई भी मजदूर इतने घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। ज्यादा समय तक काम करते रहने की वजह से ही एक्सीडेन्ट होते हैं क्योंकि उनको नींद आ जाती है और दूसरी तरह की बातें होती हैं। इस बिल में इस बात के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि एक मजदूर से कितने समय तक काम लिया जायेगा और यदि

कोई व्यक्ति उसकी खिलाफवर्जी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। अगर बिल में यह प्रावधान नहीं है तो नियमों में ही यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि कितने घंटे से ज्यादा काम एक मजदूर से काम नहीं लिया जा सकेगा।

आजकल बहुत सारी कम्पनियां ऐसी हैं जो फर्जी नामों से थ्रेशर बनाती हैं। हमारे भीलावाड़े में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्पनी का नाम दूसरा है और बनाते कुछ और हैं घटिया किस्म के थ्रेशर वे बनाते हैं जिनसे एक्सीडेन्ट्स होने की अधिक सम्भावना रहती है। इस हेरा-फेरी को रोकने के लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे कि डुप्लीकेट और फर्जी मशीनें न बनाई जा सकें और अगर कोई ऐसा करे तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 6 महनों की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना रखने से उन लोगों पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। उसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान रखना नितान्त आवश्यक है।

दुर्घटनाओं में जिन लोगों के हाथ-पांव कट जाते हैं या जो मर जाते हैं वह अधिकतर बिना पढ़े-लिखे मजदूर ही होते हैं जो कि कानूनी दांव-पेंच बिल्कुल नहीं जानते हैं। यदि वे अपने कम्पेन्सेशन के लिए वकीलों के पास जायेंगे तो वे उनसे काफी पैसा भी लेंगे और उसमें देरी भी बहुत होगी। इसलिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एक्सीडेन्ट होते ही जितना भी मुआविजा बनता हो उसको सम्बन्धित व्यक्ति, जिसको भी आप अधिकारी नियुक्त करें, उसको कोर्ट में जमा करा दे। यदि ऐसा नहीं होता हैं तो लोगों को कम्पेन्सेशन मिल नहीं पायेगा। यहां के आदमी यू- पी. के आदमी पंजाब में काम करने के लिए जाते हैं, उन को अपने कम्पेन्सेशन के लिए पैरवी करने के लिए कितना भटकना होगा यह आप सोच सकते हैं इसलिए एक्सीडेन्ट होते ही कम्पेन्सेशन का पैसा जमा करना मालिक का फर्ज बना देना चाहिए।

इस बिल में आपने जो प्राविजन्स रखे हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं। मैं कुछ उद्धरण देना चाहता हूं।

(III) ऐसी खतरनाक मशीन के पुर्जे नहीं बनाता है या उनका विनिर्माण नहीं करता है किन्तु किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बनाए या विनिर्मित किए गए पुर्जे समंजित करता है और अन्तिम उत्पाद के लिए वह दावा करता है कि वह यथास्थिति उस व्यक्ति द्वारा या उस फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा बनाया गया था विनिर्मित किया गया उत्पाद है,

(IV) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई या विनिर्मत की गई किसी पूर्ण खतरनाक मशीन पर अपना चिन्ह लगाता है या लगवाता है और ऐसे उत्पादन के लिए यह दावा करता है कि वह उस व्यक्ति द्वारा या उक्त फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा बनाया गया या विनिर्मित किया गया उत्पाद है

जो फर्जी कार्यवाही करते हैं, फर्जी चिह्न लगाते है, झूठे औजार बनाकर बेचते हैं इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का इस में कहीं भी प्रावधान नही किया है। जो औजार वे बनाते हैं, वे काफी खतरनाक होते हैं। इसी लिए उनके सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था इस बिल में आपको करनी चाहिए।

आपने बिल की धारा-9 में कहा है इस

[श्री कृष्ण चन्द्र पांडे]

धारा में जो अन्यथा उपबिन्धत है, उसको छोड़कर कोई व्यक्ति किसी खतरनाक मशीन का तब तक विनिर्माण नहीं करेगा या विनिर्माता या व्योहारी के रूप में उसके किसी कारवार का आरम्भ नहीं करेगा या कारबार नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास नियंत्रक द्वारा इस निमित्त जारी की गई वैध अनुज्ञप्ति न हो। लेकिन आपने इस क्लाजों में "परन्तु" लगा दिया है। परन्तु किसी वर्ग की किसी खतरनाक मशीन का विनिर्गाता या व्योहारी के रूप में ऐसे वर्ग की खतरनाक मशीन के सम्बन्ध में नियत दिन से ठीकपूर्व कारबार में संलग्न कोई व्यक्ति ऐसी मशीन का और यदि वह एक मास की उक्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीने ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन करता है तो वह नियंत्रक के ऐसे आवेदन का निपटारा करने वाले आदेश के उसे संसूचित किए जाने तक विनिर्माण या ऐसा कारबार उस तारीख से एक मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के बिना करता रहेगा। दूसरी बात आप ने कही है कि 1981 से एक आर्डर लगा रखा है और उसमें यह प्रावधान है कि जो फर्जी कार्यवाही करेंगे, जिसके जरिए रात दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उसके तहत आज तक कोई भी अधिकारी उनको पकड़ने में समर्थ नहीं हो सका है। इसके संबंध के में निश्चित तरीके से कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

आपने सैक्शन-12 में कहा है कि कोई भी आदमी पार्टनरशिप को बदल सकता है इसमें यह प्रावधान करना चाहिए कि अगर वह एक्सीडेंट करता है, तो वह भागी दारी में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इस तरह का प्रावधान आपने इस बिल में नहीं किया है। इस से बचने के लिए भागीदारी परिवर्तन कर लेगा। इस व्यवस्था को भी आपको रोकने की आवश्यकता है।

सैक्शन-13 (1) में कहा है किसी खतरनाक मशीन का प्रत्येक विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी मशीन और उस का प्रत्येक पुर्जा, भारतीय मानक संस्था द्वारा उसके लिए अधिकथित एसे मानाकों के अनुरूप है, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जायें। इस संबंध में आपने क्या व्यवस्था की है जो पुर्जे बनायें वे स्टैंडर्ड पुर्जे हों, उससे किसी को क्षति न हो। इस तरह की कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी जिससे ऐसे फर्जी पुर्जे कोई न बना पाए।

इसी के साथ-साथ सैक्शन-13 (3) में आपने कहा है किसी खतरनाक मशीन का प्रत्येक विनिर्माता यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी मशीन में स्पष्ट और सुपाठ्य खतरा सिगनल लगाए गए हैं जो यह संकेत करते हैं कि मशीन से काम लेने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन सकेतों से आगे किसी अंग को नहीं डाला जाएगा। यह प्रावधान तो बढ़िया है, लेकिन इसका आज तक लोगों ने अनुपालन नहीं किया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो आदमी इस तरह का सिगनल नहीं लगाएगा उसको किस प्रकार से पैनलाइज किया जाएगा और उसकी पैनल्टी क्या होगी? आपने कहा है कि उसको सजा देंगे, लेकिन किस प्रकार की सजा देंगे? इसी तरह आप सैक्शन 14 के (ग) को देखिये आप कहते हैं-

(ग) विनिर्माता का नाम और सही पता, उसके विनिर्माण का वर्ष और विनिर्माता की अनुज्ञप्ति की तारीख, संख्यक और अन्य विशिष्ठियां।

अगर कोई आदमी गलत पार्टनर का नाम दे देता है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है ? इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अच्छी तरह से इस बिल को देख लीजिये, मेरे ख्याल में इसमें यह कमी रह जायगी और इस से मजदूरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

इसी तरह से सैक्शन 15 को देखिये-

"प्रत्येक विनिर्माता प्रत्येक खतरनाक मशीन के साथ ऐसी मशीन, के प्रचालन सम्बन्धी साधारण अनुदेशों वाली पुस्तिक देगा और उसमें ऐसी चेतावनियां भी होंगी, जो विहित की जाये।"

आप ने यह प्रावधान तो कर दिया, लेकिन जो मजदूर काम करने आते हैं वे बिना-पढ़े-लिखे होते हैं यह किताब वहां लगा देंगे, लेकिन इसमें लिखी गई बातों के पालन करने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप सुझाव दीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सुझाव यह है कि आप ट्रेनिंग करवाइये। उन को समझाइये कि इस प्रकार से सचेत रह कर इस मशीन को चलाने की आवश्यकता है।

जहां तक कम्पेन्सेशन का मामला है, कम्पेन्सेशन के प्रश्न पर जहां-जहां मैंने देखा है, जितनी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं उन में बड़ा घपला है। पूंजीपति लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं जिस की वजह से गरीब मजदूर को टाइम पर पैसा नहीं मिलता है। इस में ऐसा प्रावधान कीजिये जिस से उस गरीब आदमी को, जो बहुत दूर-दूर से आप के यहां आता है, टाइमली कम्पेन्सेशन मिल जाय। इस समय इस बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। एक्सीडेन्ट होते ही मालिक को कम्पेन्सेशन जमा करा देना चाहिये, उसके बाद यदि उस को कोई कार्यवाही करनी है तो करे, लेकिन पैसा तुरन्त जमा होना चाहिये।

जहां बीमा पालिसी का सम्बन्ध है, बहुत से लोग नहीं कराते हैं। जो नहीं कराते हैं, जो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, उन को क्या सजा मिलेगी इसके बारे में क्या प्रावधान है ? बीमा-पालिसी होती है तो उस से मजदूर को भी पैसा मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा। यदि नहीं होती है तो मालिक हर तरह से बचने की कोशिश करता है ताकि उसको कम्पेन्सेशन न देना पड़े। इस लिये बीमा कराना अनिवार्य होना चाहिये।

आप ने इस कानून में 6 महीने की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना रखा है, यह बहुत कम है, इस को बढ़ाना चाहिये। कम से कम दो साल की सजा होनी चाहिये जो कानून की खिलाफवर्जी करे और पांच हजार रुपये जुर्माना होना चाहिये, तब व्यवस्था ठीक से चल सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI K. A. RAJAN (Trichur) : Mr. Chairman, Sir, I stand to welcome this Bill. Specially during the harvest season, we hear about various poor people who operate threshers meeting with serious accidents and they are left at the mercy of employer or whoever is concerned with that type of threshing work. There is one pecular feature which has to be taken into account in the administration as well as in the implementation of this piece of legislation. This has to be administered in an area where labour is

[Shri K. A. Rajan]

quite unorganised. It is not an organised sector. In the organised sector, as we know, there are certain advantages in regard to certain provisions like this in the factories and industrial establishments. But in the case of this Bill, there is that peculiar featare.

Another thing is that the people who are engaged in this type of work are not so organised that they can just demand compensation, put in their claim and fight for it as in other areas of orgnised sector. So merely by passing this type of a legislation, it will not bring the desired result in its administration and implementation. The threshers are generally operated in rural areas where uneducated workers are involved. If they are to be protected, the procedures and rules have to be laid down in regard to the administration and implementation of this piece of legislation. Otherwise, it would be very difficult for the benefits to reach the workers, You know from experience that there is lot of evasion in the implementation of these legislations which have been enacted even in respect of organised industries and the workers are put to serious difficulties.

I do not like to go into this Bill clause by clause in view of the limited time at my disposal.

I find that the Bill is puite comparehensive because it covers not only the principal employer as well as the agent but also the contractor and all other people, There is a comprehensive definition of 'Operator,.

The controller or the Assistant Controller, if appointed in the area, has to take adequate care of the aspects regarding the machine, whether the manufacture of the machine is according to the rules or not, and whether all safety me sures have been taken and all safety devices have been installed in the machine.

Regarding the implementation part of it, it has to be seen whether the particular operator was in service when the accident took place and what is the compensation to be given and whether he is disabled. All these provisions have to be administered by the Inspectors appointed under the provisons of this Act.

I would like to know which Department would be entrusted with the responsibility to administer and implement the Act because there are a number of labour enactments and labour legislations under the Ministry of Labour in the respective States as well as at the Centre. If a single officer is entrusted with the task of implementation of the various Acts, it would not be possible for him to see to the adequate implementation of this Act. A single officer with umteen jobs would not be able to attend to all these things. A particular Authority has to be appointed for the implementation of this Act. whatever enactments we have got whether in the organised or in the unorganised sector, failure takes place in the actual implementation. In the organised sector, the workers are organised so that they can fight and it is being done. In the rural areas, all sorts of malpractices and unfair practices going on. The implementation of the whole legislation in the rural areas is very important if we are to give those people the full benefit of this legislation. First of all, there should be sufficient number of Inspectors and every one of them should be demarcated with specific duties. They shuld be allotted a certain area of operation especially in the harvest season. Otherwise, it will be very difficult to find out what is going on and what are the state of affairs in this particular field. That is why I say that the administration and implementation of this Act has to be very scrupulously taken up from the very beginning if the benefits are to accrue to the people for whom this Bill is intended. This is one point which I would like to streets.

The compensation provided is exacly on par with that provided in the Workmen's Compensation Act. The procedure laid down in the existing rules of the Work-

men's Compensation Act is not easy. It is cumbersome. How far the illiterate workers who work in the villages would be able to follow the rules and procedures lide down in the Act and get their claims protected is dubtful. This is very important aspect which has to be looked into. Certain provisions of the Workmen's Compensation Act are out of date now. The workers are also demanding for a revision of these scheduled rates because the compensation is being determined according to the earnings of the workers. It has some bearing on the earning of the worker. The earning is very much relevent for the compensation. In the organised sector, there are certain stipulated rate of wages arrived at by agreements. But in the unorganised sector, there is no way of knowing and identifying the earnings of an operator. These are the problems which have to be faced in the actual implementation of the Act.

I welcome this Bill. But the benefits of this Act would accure if only the Government machinery moves sincesrely and honestly and in such a way that it would benifit the common people. The administration and implementation of this Act should be followed up. It has to be administered by officers who are committed to protect and safeguard the interests of workers.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिए में उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रौर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को जिनकी प्रेरणा से यह विधेयक इस सदन में लाया गया है। इस विधेयक के कानून बन जाने पर मैं समझता हूँ कि इस देश के करोड़ों-करोड़ उन मजदूरों को लाभ मिलेगा जो खेती में काम करते हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा किसान कभी ग्रपने ग्राप खेत में ट्रैक्टर या हल नहीं चलाता है, पानी नहीं देता है न कभी निराई करता है। वे कुछ भी नहीं करते हैं, उनके नौकर-चाकर खेतिहर मजदूर जो होते हैं वे ही सब काम करते हैं या फिर छोटे-छोटे किसान ग्रपने हाथ से काम करते हैं। ये सब लोग इस कानून से लाभान्वित होंगे ग्रौर उनकी दुग्राएं श्रीमती इन्दिरा गांधी को ग्रौर सरकार को मिलेंगी।

श्रीमन् सन् 1980 में श्रम मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया था। उसके मुताबिक हमारे देश में करीब ढाई लाख मजदूर हर वर्ष खतरनाक मशीनों से ग्रपंग ग्रौर ग्रपाहिज हो जाते हैं। ऐसे ढाई लाख मजदूर हैं जिनके ग्रंग भंग हो चुके हैं, हाथ-पैर कट गये हैं, ग्रांखें फूट गई हैं। लगभग 6 सौ ग्रादमी इस तरह की मशीनों से हुए एक्सीडेंटों में मर जाते हैं, ग्रपनी जान गंवा देते हैं। ये श्रम मंत्रालय के ग्रांकड़े हैं। यह बिल जो है वह कृषि से सम्बन्धित खतरनाक मशीनों से सम्बन्धित है। इस बिल में यह है कि इस तरह की खतनाक मशीनों से जो लोग ग्रपंग हो जाते हैं, ग्रपाहिज हो जाते हैं ग्रौर जिनकी जानें चली जाती हैं उनको किस तरह से कम्पेनसेट किया जाए, किस तरह से लाभान्वित किया जाए। ये सब बातें इस बिल में दी गई हैं। थ्रेशर. चैफ क्रेशर, केन क्रेशर ग्रादि जो मशीनें हैं जिनसे कि किसानों का रात-दिन का सम्बन्ध है, ये खतरनाक मशीनें हैं। इनके बारे में मेरे बहुत से साथियों ने चाहे विपक्ष के हों या इस पक्ष के हों उन्होंने ग्रपने ग्रपने विचार व्यक्त किये हैं ग्रौर सभी ने एकमत से इस विधेयक का समर्थन किया है। इसलिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।

ग्राप कार, मोटर, ट्रक, साइकिल, स्कूटर इन सब को बनाने का लाइसेंस देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 20-25 साल पहले किसान भैंस या बैल से हल जोतता था लेकिन

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

जैसे-जैसे विज्ञान ने प्रगति की और खेती के काम में आने वाली मशीनों का निर्माण हुआ तो किसान ने भी उनका प्रयोग करना शुरू किया। किसान के लिए मशीने हैं थ्रेशर, चेफ कटर, केन क्रेशर। आपने उन इलाकों में देखा होगा जहां कि गेहूँ पैदा होता है। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि में आपने अकसर देखा होगा कि उनके छोटे-छोटे कस्बों में लाईन की लाईन में थ्रेशर खड़े हुए हैं। इसका कारण है कि इस साल बेमौसम की वारिस हुई और जिसके कारण से किसान का गल्ला सड़ना शुरू हुआ और उसके दाने में कोपल फूटनी शुरू हुई। तब किसान को चिंता हुई। किसान सारा साला मेहनत करता है। जब बैसाख के महीने में फसल हो जाती है तब वह शादी-ब्याह तथा अन्य काम करता है। अब जब बेमौसम वर्षा होने लगा तो छोटे-छोटे किसानों ने भी किसी तरह से थ्रेशर खरीदे। चाहे कर्जा लेकर या जेवर गिरवी रखकर उसने यह थ्रेशर जरूर खरीदा। इतनी बड़ी तादाद में थ्रेशर बनाए जा रहे हैं पर इनके बनाने वालों के पास कोई लायसेंस नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए लायसेंस जरूरी कर दिया जाए और थ्रेशर का डिजाइन सरकारी विशेषज्ञों द्वारा पास कराया जाना चाहिए ताकि उससे दुर्घटनाएं न हों।

बैंकों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जितनी लूट किसान की होती है उतनी किसी अन्य के द्वारा नहीं होती। किसान मजबूर है और सीधा है इसलिए इस लूट को सहन करता है। अन्य जगह यदि किसी को ऋण दिया जाता है तो वह अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब किसान ऋण लेता है तो उसको मजबूर किया जाता है कि वह फलां डीलर से ही सामान खरीदे। यह काम डीलर करवाते हैं। वहां पर उसको नकली और दुगनी कीमत पर सामान खरीदना पड़ता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरा कहना है कि किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। वही इस देश की व्यवस्था का निर्माता है। अगर किसान का हित होगा तो पूरी जनता और पूरे देश का हित होगा। इतना कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : सभापति जी, यह कानून इस सदन में लाया गया है, इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानता हूँ। मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर इसको शुरू किया।

(व्यवधान)

कुछ मशीनें खेतो में काम आती है। उनमें दुर्घटनाएं भी होती हैं और जिन लोगों को चोट लगती है उनको मुआवजा देने की बात है। लेकिन इस कानून के जरिए वह इंटरेस्ट तो एक तरफ हो गया। जो पावर से चलने वाली मशीने हैं, जो गांवों में खेती के काम आती हैं, उनके बनाने वालों को लाइसेंस लेना होगा और फिर जों उनको यूज करने वाले हैं, उनको भी लाइसेंस लेना होगा और ले कर के उनको काम में ला सकेंगे और वह इस वास्ते ताकि रिकार्ड रहे यह इतनी लम्बी चौड़ी मशीनरी जो आपने रखी है, जाल रखा है, कृपा करके बताइये कि इस देश में कितने किसान खेती करने वाले हैं, उन में से कितने परसेंट इन मशीनों का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा इनका प्रयोग करने की वजह से कितने एक्सीडेंट साल में होते हैं। अगर आपने नहीं बताया तो आप अंदाजा लगाइये कि कितनी

तकलीफ होगी लोगों को इस वजह से। आप यह भी देखें कि खेती के काम आने वाली मशीनें देश में पहले तो बनती नहीं थी और अब बनती शुरू हुई हैं, थ्रेशर वगैरह अब बनने शुरू हुए हैं और जब बनने शुरू हुए हैं तो वे सब रिजेक्ट हो जाएंगे और नए बनाने वालों की व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि की पैदावार कैसे बढ़ेगी। मशीनीकरण देश के लिए आप जरूरी समझते हैं तो इस सब पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा। जिस समय गेहूँ निकालने का वक्त होता है, थ्रेशर से या बैल से काम लिया जाता है तो समय पर उसको न निकला जाए तो वह खराब हो जाता है। कितने थ्रेशर काम कर रहे हैं इसको भी आप देखें। आप अपने आबजेक्ट्स में ट्रैक्टर को भी डेंजरस कहेंगे या नहीं कहेंगे? ट्रैक्टर डेंजरस हो गया, बिजली का पम्प भी डेंजरस हो गया किसान के खेत में काम में आने वाली सारी मशीनरी डेंजरस हो गई और सब के लिए लाइसेंस ले सर्टिफाई करवाए और इस सब के लिए आपको कितनी वाइड पावर्ज राज्य सरकारों के अफसरों को देने जा रहे हैं, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। कितना हेरासमैंट होगा लोगों का इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ट्रैक्टर डेंजरस, बिजली का पम्प डेंजरस, ट्रैक्टर से चलने वाली ट्राली से चलाने वाली कूतर डेंजरस कौन-सी मशीन आपने छोड़ी है। कूतर की मशीन जानवरों को चारा चराने के लिए लगाते हैं। आपकी डैफीनीशन के हिसाब से ये सब डेंजरस हो गई। आर्बजक्ट्स से क्लीयर नहीं होता है। थ्रेशर से शुरू आप करते हैं और सारी मशीनरी को आपने इस में डाल दिया है।

कृषि आयोग ने बहुत गहराई से कृषि के मशीनीकरण पर विचार किया है। उसने कहा है कि तीन लैवेलों पर मशीनीकरण जब तक देश में नहीं होगा तब तक देश का कृषि उत्पादन जितना बढ़ाना चाहिये नहीं बढ़ सकता है, जितना काम आगे बढ़ाना चाहिये नहीं बढ़ा सकेंगे। पहला ट्रैक्टर खेत चलाने के लिए, दूसरा ग्राउंड वाटर नीचे से बाहर निकालने लिए और तीसरा थ्रेशिंग तीनों लेबलों पर आपने यजर को भी सब जगह बांध दिया है, मैनुफैक्चर को भी बांध दिया है और एक नया दरवाजा भ्रष्टाचार का आपने खोल दिया है। देश के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, इसको आप देखें। यह दुर्भाग्य की बात है कि आपके हाथों यह कानून बन रहा है उन लोगों के वास्ते जिन के आप हमदर्द हैं। बिजली के चलते भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तार छू जाने से भी हो जाते हैं और लोग मर जाते हैं। जिस जगह डेंजर नहीं है, कौन सी मशीनरी डेंजरस नहीं है। कम्पेंसेशन अगर किसान से कुछ दिलाना हो तो दिला दें। लेकिन इंडायरेक्टली कान पकड़ने से क्या मतलब है, सीधे कान पकडिये। ट्रैक्टर चलाने से किसान से भी दिलाना हो तो दिला दें और सरकार को भी देना हो तो दे दें। कितने एक्सीडेंट आखिर होते हैं? उन्होंने ढाई लाख की फिगर दे दी है...

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज): एक भी एक्सीडेंट होता हो तो क्या कानून नहीं बनना चाहिये?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। किसान से भी कुछ कम्पेसेशन दिलाना हो तो दिला दो, यह बात समझ से आती है। लेकिन हर मशीन को डेंजरस करार दे दो, हर किसी को जाल में जकड़ दो जिस का कोई अन्त नहीं है और जो मशीनीकरण हुआ है उसके लिए भी आगे के लिए

[श्री नाथूराम मिर्धा]

गुंजाइश न रहे और किसान पिसता चला जाए, सरकार की कृषि नीति खत्म होती चली जाए तो देश का क्या होगा ? आपने प्रधान मंत्री का नाम ले कर कह दिया है कि प्रधान मंत्री जी यह कहती हैं और हम कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री ने कहा है। मेरे ख्याल से ऐसा कानून मत बनाये। यह कानून राष्ट्रीय कृषि आयोग के खेती के मशीनीकरण करने के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है और आपके इस प्रकार के मोटी मोटी कृषि मशीनें बनाने के कारखाने नहीं हैं। उसमें सुधार कीजिये। आपके खेती के वर्कशाप हैं कितने ? जो मशीनें आप बनाते हैं, कितनी गांव में जाती है ?

यह कानून देश की कृषि का भला नहीं करेगा। एक्सीडेंटस से कम्पेन्सेशन दिलाने की बात तो सारी जगह है। जिनका हाथ कटता है, उनको कंपेन्सेशन दिलाओ, मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन मशीनों के इस तरह पाबन्दी करने से गांव के किसानों को और मजदूरों का शोषण होगा, भ्रष्टाचार होगा, नुकसान होगा। इसलिये मेरी राय है कि इस कानून को आप पास न करें, इसको वापस ले लें और कम्पेंसेशन की बात बैठकर सोचें। इतना ही कानून आप बनायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, यह बहुत छोटा सा बिल था और कुछ सदस्य इतनी बहस कर रहे हैं। मैं हैरान था कि व्यास जी क्या इतनी बहस करते हैं ? छोटी सी बात को बेकार लम्बा करते हैं।

मैं राव साहाब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार बिल पेश किया ही खतरनाक चीज का इसमें विरोध किया है।

जो बोले हैं किसानों का काम खराब हो जायेगा, तो इससे किसानों का क्या बिगड़ना है ? मैंने खुद काश्तकारी की है, तब मेरी सेहत ज्यादा अच्छी थी। अब तो मशीनों ने भट्टा बैठा दिया है। आज 70 करोड़ की आबादी है, अन-एम्पलायमेंट इतनी है और आप मशीनों की तरफ बढ़े हुए हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है।

महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन्होंने कहा था :

> "Dead machinery must not be pitted against the millions of living machines represented by the villagers scattered in the seven hundred thousand villages of India· Machinery to be well used has to hely and case human effort. The present use of machinery tends more and more to concentrate wealth in the hands of a few in total disregard of millions of men and women whose bread is snatched by it out of their mouths,"

यह क्या कहते है कि मशीनें ले आये। कम्बाइन्ड आपरेशन शुरू करके। हजारों एकड़ जमीन से फटाफट दाने निकाल लिये, जब कि मजदूर गांव में बेकार खड़े हैं। मैं मशीनों के बिल्कुल बरखिलाफ हूं। इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, बहुत से लोगों को काम नहीं मिलता इस लिये फाके काट रहे हैं। लोग बेरोजगार हैं और आप मशीनें लाये जाओ, और कहते हो भला कर रहे हैं, तो यह क्या भला है। आप मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिसने हिन्दुस्तान

आजाद कराया उसके आदर्श की तरफ ध्यान नहीं देते।

जो मुआवजे का बिल लाया है, बहुत अच्छा है। समथिंग इज बैटर दैन नथिंग। हर आदमी यही कहता है कि मैं किसान और लेबरर का बड़ा खैरख्वाह हूँ। यह सिर्फ वोट लेने के लिए कहना चाहते हैं, उनकी बहतरी के लिए नहीं, आज लोग बेरोजगारी से पिस रहे हैं और उनको काम नहीं मिलता।

इन बातों के साथ मैं राव साहब का धन्यवाद करता हूँ यह शानदार बिल है। थोड़ा बहुत कम्पैसेशन जरूर देना चाहिए। डैंजरस की बात का आप इलाज करें। यह बिल अच्छा है और आप इसे वक्त से लाये हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल चेयरमैन साहब, इस वक्त जो बिल हमारे सामने हैं, इसके पीछे जो स्पिरिट है, वह बहुत ही अच्छी है और मैं समझता हूँ कि हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ नुक्तों की तरफ आनरेबल मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

जो गरीब मजदूर इन मशीनों पर काम करते हैं, काम करते हुए जिनका हाथ कट जाता है या जिनकी जान तलक हो जाती है या जो नाकारा हो जाते हैं, सरकार ने उनकी मदद करने का उपाय तलाश किया है. यह तो बड़ी अच्छी बात है। जब साइंस ने तरक्की और डेवेलपमेंट दी है, तो उसने खतरों से बचने के रास्ते भी बता दिए हैं। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में साइंटिस्ट्स, इंजिनीयर्स और टेकनीशन्ज बड़ी बड़ी मशीनों पर काम करते हैं, लेकिन उनकी जान के लिए खतरा पैदा नहीं होता इसके मुकाबले में जो गरीब मजदूर पावर थ्रेशर जैसी छटी-छोटी मशीनों पर काम करते हैं, उनकी जान चली जाती हैं या उनके हाथ पैर कट जाते हैं।

इससे ऐसा लगता है कि हमने अभी अपने मजदूर तबके और वर्किंग क्लास की जान की कीमत नहीं समझी है। अभी तक हम वह जिम्मेदारी कुबूल नहीं कर रहे हैं कि जो गरीब इन्सान इन मशीनों पर काम करते हैं, उनकी जान की हिफाजत के लिए कोई असबाब भी मुहैया करें। जब साइंटिस्ट् की हिफाजत का साधन हो सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि हम छोटे गरीब मजदूरों के लिए भी इस किस्म का वन्दोवस्त न करें। जब कारखानों से ये खतनाक मशीनें निकलती हैं, वहीं पर इसका इन्तजाम न हो, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि हमें बुनियादी जगह पर ही इसका इलाज तलाश करना होगा। उन मशीनों को इतना परफेक्ट बनाना चाहिए कि वे किसी के लिए जान का खतरा न बनें। हमें इस कद्र बेबस नहीं होना चाहिए कि वे मशीनें काम न करें, जो कि लोगों के लिए खतरे का बयास बनें।

जहां हमने इस सिलसिले में इंस्पेक्टर वगैरह का अमला कायम किया है, वहां हमें ज्यादा जोर इस बात पर देना चाहिए कि ऐसी खतरनाक मशीनें न बनें। अगर यह मुमकिन न हो, तो बेहतर है कि हम माजो की तरफ जाएं। आदमी हाथ से काम करें, लेकिन उनकी जान न जाए। जो गरीब, पसं मांदा आदमी इन मशीनों की वजह से मारा

[श्री अब्दुल रसीद कांबुली]

जाता है, उसके पीछे उसका सारा खानदान तबाह हो जाता है। आम तौर पर वह आदमी अनस्किल्ड वर्कर होता है, जिसके पास कोई तालीम नहीं है, कोई बूदो-वाश नहीं है, कोई सहारा नहीं है। वह अपनी जान पर खेल कर काम करता है। वह जानता है कि यह मशीन उसकी जान ले सकती है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए वह यह काम करने पर मजबूर होता है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि इस बिल के सेक्शन (7) और (9) में आपने लाइसेंस की तरफ इशारा किया है कि 500 रुपए लेकर किसी आदमी को आप अख्तियार देंगे कि वह मशीन बनाए और सप्लाई करे और रेन्युबल के वक्त आपने 200 रुपए लाइसेंस फी बात रखी है। मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं है। इस मौके पर भी आप कुछ कन्ट्रोल कर सकते थे। यह लाईसेंन्स फी ज्यादा बढ़ाई जाती ताकि इन खतरनाक मशीनों को सही लोग सही तौर पर बनायें।

सेक्शन (22) में इंश्योरेन्स की बात कही गई है। जिस मशीन पर मजदूर काम कर रहा है उसका मालिक ही इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसी को पेमेंट करना होगा। अक्सर होता ऐसा है कि लोग देते नहीं हैं और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस मजदूर की तो जिन्दगी बेकार हो जाती है। इसलिए इसका जो लीगल आस्पेक्ट है उसको भी देखना होगा। मेरा खयाल है कि इंश्योरेंन्स उसी वक्त से होना चाहिए जबसे कि मशीन बने। मशीन बनकर मार्केट में आए तो उसके साथ में यह बुनियादी शर्त हो कि इन्स्योरेन्स करना लाजमी होगा वरना बाद में अगर एम्पलायर मदद नहीं करना चाहता तो मुश्किल पेश आयेगी और लीगल डिफीकल्टीज पैदा होंगी। इसलिए इस प्वाइन्ट पर भी सरकार को गौर करना चाहिए।

आप सर्चेज और सीजर्स के लिए जो इन्स्पेक्टर्स वगैरह बनाते हैं उसमें आप उनके ऊपर बहुत कुछ छोड़ रहे हैं जिससे अन्देशा है कि कहीं करप्शन का सिलसिला न शुरू हो जाए। इसलिए इन्स्पेक्टर्स को भी कितनी पावर्स देनी चाहिए-इस बात पर भी आपको गौर करना होगा।

अब मेरे कुछ सजेशन्स भी हैं जो इस हाउस के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। अगर आप कोर्ट में जायेंगे तो यह मामला लम्बा चलेगा और फिर इस बिल के पीछे जो आपका पर्पज है वह पूरा नहीं होगा। जैसी कि कहावत है-जस्टिस डिलेडइज जस्टिस डिनाइड। (Justice delayed is justice denied) मेरा सजेशन यह है कि इस काम के लिए कोई ट्रियूनल बनाया जाए जहां एसे केसेज का फैसला किया जाय। एक प्लाइन्ट और भी है। एक हालत ऐसी हो सकती है कि वर्कर भी वही हो और एम्पलायर भी वही हो। मान लीजिए एक आदमी है जो सस्ते में कुछ काम करना चाहता है, वह खुद एक मशीन खरीद लेता है और उसको चलता है। उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहूंगा ऐसे केसेज में आप क्या करने जा रहे हैं ?

यही मेरे चन्द सजेशन्स थे जो मैं ने आपके सामने पेश किए।

شری عبد الرشید کابلی (سری نگر)

آنریبل چیئرمین صاحب - اس وقت جو بل ہمارے سامنے ہے اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے - اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیئے - لیکن میں کچھ نکتوں کی طرف آنریبل منسٹر کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔

جو غریب مزدور ان مشینوں پر کام کرتے ہیں - اور جن کا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا جن کی جان تلف ہو جاتی ہے یا جو ناکارہ ہو جاتے ہیں - سرکار نے ان کی مدد کرنے کا اپائے تلاش کیا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جب سائنس نے ترقی اور ڈیولپمنٹ دی ہے تو ان سے خطروں سے بچنے کے راستے بھی بتا دیئے ہیں - ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سائنٹسٹ، انجینئرس اور ٹیکنیشینس بڑی بڑی مشینوں پر کام کرتے ہیں - لیکن ان کی جان کے لئے خطرہ پیدا نہیں ہوتا - اس کے مقابلے میں جو غریب مزدور یا وہ تھریشر جیسی چھوٹی چھوٹی مشینوں پر کام کرتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے یا ان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں

اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ابھی اپنے مزدور طبقے اور ورکنگ کلاس کی جان کی قیمت نہیں سمجھی، ابھی تک ہم وہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے کہ جو غریب انسان ان مشینوں پر کام کرتے ہیں ان کی جان کی حفاظت کے لئے کوئی اسباب بھی مہیا کریں - جب سائنٹسٹس کی حفاظت کا سادھن ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے غریب مزدوروں کے لئے بھی اس قسم کا بندوبست نہ کریں، جب کارخانوں سے خطرناک مشینیں نکلتی ہیں وہیں پر اس کا انتظام نہ ہو - یہ ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے - میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی جگہ پر ہی اس کا علاج کرنا ہوگا — ان مشینوں کو اتنا پرفیکٹ بنانا چاہیئے کہ وہ کسی کے جان کا خطرہ نہ بنیں، ہمیں اس قدر بے بس نہیں ہونا چاہیئے کہ وہ مشینیں کام کیا کریں جو کہ لوگوں کے لئے خطرے کا باعث بنیں۔

جہاں ہم نے اس سلسلے میں انسپکٹر وغیرہ کا عملہ قائم کیا ہے وہاں ہمیں زیادہ زور اس بات پر دینا چاہیئے کہ ایسی خطرناک مشینیں نہ بنیں - اگر ممکن نہ ہو تو بہتر ہے کہ ہم ماضی کی طرف جائیں - آدمی ہاتھ سے کام کرے لیکن ان کی جان نہ جائے، جو غریب پسماندہ آدمی ان مشینوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے اس کے پیچھے سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے - عام طور پر وہ آدمی ان اسکلڈ ورکر ہوتا ہے جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی بود و باش نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر کام کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مشین اس کی جان لے سکتی ہے، لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لئے وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بل کے سیکشن ۷ اور ۹ میں آپ نے لائسنس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ۵۰۰ روپے لیکر کسی آدمی کو اختیار دیں گے کہ وہ مشین بنائے اور سپلائی کرے اور رینیول کے وقت آپ نے ۲۰۰ روپے لائسنس فی کی بات رکھی ہے - میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے - اس موقع پر بھی آپ کنٹرول کر سکتے تھے، یہ لائسنس فی زیادہ بڑھائی جاتی تاکہ ان خطرناک مشینوں کو صحیح لوگ صحیح طور پر بنائیں۔

سیکشن ۲۲ میں انشورنس کی بات کہی گئی ہے جس مشین پر مزدور کام کر رہا ہے اس کا مالک اس کا ذمہ دار ہوگا - اور اس کا پیمنٹ کرنا ہوگا - اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دیتے نہیں ہیں اور عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کچھ مزدوروں کی تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے اس لئے اس کا جو لیگل آسپیکٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا - میرا خیال ہے کہ انشورنس اس وقت سے ہونا چاہیئے جب سے کہ مشین بنے، مشین بن کر مارکیٹ میں آئے تو اس کے ساتھ میں یہ بنیادی شرط ہو کہ انشورنس کرنا لازمی ہوگا - ورنہ بعد میں اگر ایمپلائر مدد نہیں کرنا چاہتا تو مشکل پیدا ہو جائے گی اور لیگل ڈفیکلٹیز پیدا ہوں گی - اس لئے اس پوائنٹ پر بھی سرکار کو غور کرنا چاہیئے

آپ پرچیز اور سیلز کے لئے جو انسپکٹرس وغیرہ بناتے ہیں - اس میں آپ ان کے اوپر بہت کچھ چھوڑ رہے ہیں، جس سے اندیشہ ہے کہ کہیں کرپشن کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے - اس لئے انسپکٹرس کو بھی کوئی پاور دینی چاہیئے کہ اس بات پر بھی جناب کو غور کرنا ہوگا۔

اب میرے سجیشنز بھی ہیں جو اس ہاؤس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کورٹ میں جائیں گے۔ تو یہ معاملہ لمبا ہو جائے گا - اور پھر اس بل کے پیچھے جو آپ کا پرپز ہے وہ پورا نہیں ہوگا - جیسی کہ کہاوت ہے "جسٹس ڈلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ" میرا سجیشن ہے کہ اس کام کے لئے کوئی ٹریبونل بنایا جائے، جہاں پر ایسے کیسز کا فیصلہ کیا جائے۔

ایک پوائنٹ اور بھی ہے ایک حالت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ورکر بھی وہی ہوں اور ایمپلائر بھی ہو - مان لیجئے ایک آدمی ہے جو سستے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے - وہ خود ایک مشین خرید لیتا ہے اور اس کو چلاتا ہے - اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے - تو اس کے لئے اب اس بل میں کوئی ذکر نہیں ہے - میں جاننا چاہوں گا - ایسے ایسے کیسز میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔

یہی میرے چند سجیکٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کئے۔

PROF. N. C. RANGA (Guntur): Mr. Chairman, Sir, I welcome this Bill. I am glad it has long lost come to be

introduced. Three years ago this trouble came to the surface. People came to know that there are these machines which had been used there more or less widely in Punjab and Haryana and quite a largee number of our agricultural workers as well as peasants were being hurt and then damaged seriously too.

Our is not a dectatorship, but only a democracy and we have to find time also in parliament. So, it has taken three years for this Bill to come.

My friend from Kashmir wants us to think in terms of the earlier Government. When the British Government was here. I used to take that kind of line also—why do you introduce so many officers ? Those people are corrupt and they may exploit the peasants as well as the workers :

"why do you want to give so much power to the courts? There would be pending cases in the courts, and noting would be decided." All kinds of objections we used to raise, as he is raising. But in the present circumstances, whether he likes or not, we need officers and courts; and this kind of protection for our agricultusral workers and self-employed persons when they are obliged to use these machines—and get hurt as a result—is necessary. That is why this Bill is here.

I am glad this Bill has been brought under the auspices of the Ministry of Agriculture, insted of the labour Ministry. The kind of machines used in agriculture is entirely different from the machines used in the various industries. That is why this is not brought within the purview of the Workmen's Compensation Act, but under an independent administration.

I have 2 or 3 suggestions, and would request the Minister to consider them. In the case of those people who are themselves very poor, not rich any how, and who are small people, 5, 10 or 15 of them may get together and purchase a machine and hire it out. In order to purchage these machines, they are also obliged to borrow money, i, e, about Rs. 5,000/-, Rs. 10,000/- or Rs. 20,000/-. after that, if there is going to be any accident, compensation has to be paid. Would it be within their means to pay the full compensation that has got to be paid ?

We wanted to be as liberal as possible. as far as the quantum of compensation is concerned; but would it be within their means ? What is the more, has the State or Central Government not got any responsibility in the matter ? In the case of industries, it is a different matter. Industrialist have plenty of money. I would like Government to consider the possibility of the State or the Central government going to share this with the so-called employers or owners of these machines and agreeing to pay 50% of the compensation. That would be some consolation to them.

Secondly, when these machins are being purchased, and licence is being given, they wculd have to take care to see that the drivers or the so-called operators are properly trained and equipped with the necessary mechanical skills. Unless they take care about this, there is the danger that our workers will suffer.

Thirdly I am glad they have made a provision here to give power Government to extend the scope of this Bill, and then bring in several other machines also which would come to be utilized in agriculture. Tractors are being utilized now. Harvesters would soon be comming in. For sowing and reaping, more and more machinery is likely to be brought in-smaller and bigger machines. For this purpose. we need not have to come to the House with another Bill. Governmet has taken for itself the power and I am glad that they are going to take that power so that they can extend the scope of that power.

Lastly, I am not quite sure whether this Bill would be enough. Steps have got to be taken by Government in order to extend this kind of protection i. e. of

compensation to all kinds of accidents which take place in agriculture, while the workers are in their place of activity, and while they are engaged in agricultural activities. So many people fall from these carts on which hay is being piled up while it is being tied; and even when it is being transported. several times, when they dig earth and use sovels etc, they get themselves hurt. There is no mcopensation now paid to them. Agricultural workers are also lutely not protected in any way.

I would like Government to give some thought to the suggestions and see it that agricultural workers are protected in all their oprations while they are at work, if by any chance they lose their lives or any part of their body or get themselves hurt in a serious manner.

राव बीरेन्द्र सिंह : चेग्ररमैंन साहब मुझे खुशी है कि हाल में ग्राम तौर पर सभी मुग्रज्जिज मेम्बरान ने इस बिल का स्वागत किया है। एक्सीडेन्ट्स की तादाद थ्रेशर के दिनों में दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। ज्यों-ज्यों किसान ज्यादा मशीनें इस्तेमाल करने लगा, ऐसी मशीनें बननी शुरू हो गई थीं जिन का कोई स्टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन नहीं था, उन में सेफटी का ख्याल नहीं रखा जाता था। इस हाउस में भी बार-बार तशवीश जाहिर की गई, गवर्नमेन्ट को फिक्र हुई, प्रधान मंत्री जी ने खुद इस मामले में दिलचस्पी ली हजारों ग्रादमियों के हाथ कट जाते हैं, किसी का दायां, किसी का बांया किसी का पैर कट जाता है, इस को रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

जैसा मैंने कहा था ग्रक्तूबर, 1981 में हमने ऐसी मशीनों के बनाने पर कुछ पाबन्दियां लगाई। एसेन्शियल कमाडिटीज एक्ट के तहत एक ग्रार्डर जारी किया, लेकिन क्वालिटी कन्ट्रोल के लिये वह नाकाफी था, क्योंकि मशीने ग्राम तौर पर छोटे-छोटे मैन्यूफैक्चरर्स बनाते हैं ग्रौर मुखतलिफ किस्म के थ्रेशर बना बना कर किसानों को देते हैं। यहां तक कि कुट्टी काटने की मशीन का इस्तेमाल ग्रनाज निकालने के लिये किया जाने लगा जिस को ड्रमी (drummy) कहते हैं। इस तरह से सस्ते किस्म के थ्रेशर का इस्तेमाल किसान ने करना शुरू कर दिया। हमारे मिर्धा जी ने कहा कि इस कानून से हम किसानों को मशीन के इस्तेमाल से रोकने जा रहे हैं, ऐसी बात बिलकुल नहीं है, हमारा मकसद मशीनों के इस्तेमाल को रोकना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो मशीने किसानों को उपलब्ध हों वे सेफ हों, उन में एक्सीडेन्ट्स का खतरा कम से कम रहे। इसी लिये पहले हमने यह कोशिश की कि सिर्फ मेंनुफैक्चरिंग की जगह पर पाबन्दी लगायें, लेकिन जैसा मैंने कहा वह काफी नहीं था, इसमें इस तरह का भी प्रावीजन चाहिये था कि जो खिलाफवर्जी करता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसमें कम्पेन्सेशन मिले ग्रौर खलाफवर्जी करने वाले को सजा मिले। लिहाजा इन सब बातों के लिये इस बिल में प्रावीजन करने की कोशिश की गई है।

इस बिल के जरिया हम ने इस बात की कोशिश की है कि ग्रब जो मशीनें बनें वे ग्राइ. एस. ग्राइ. स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनें। ग्राइ. एस. ग्राइ. का स्पेसिफिकेशन 1979 में तैयार हो चुका था, लेकिन इस वक्त जो मशीने इस्तेमाल हो रही हैं वे भी काम में ग्रा सकेंगी, उन में थोड़े-थोड़े सेफटी डिवाइसेज लगाने की जरूरत है। इस वक्त बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जिन में जब ग्रनाज की पूली डालते हैं तो उन के शूट बहुत छोटे हैं जिन में हाथ चला जाता है जिस से ग्रंगुली कट जाती है या रोलर में हाथ चला जाता है ग्रौर बाहर नहीं निकल सकता है

अगर मशीनों में सही तरीके से सेफटी डिवाइसेज लगा दिये जांय तो इस से वर्कस को नुकसान नहीं होगा मैं एक बात और बतला दूं जो एक्सीडेन्ट्स होते हैं वे सिर्फ वर्कस के ही नहीं होते हैं, किसान के कुनबे के मैम्बर्स भी जख्मी होते हैं। ऐसा देखा गया है 60 परसेन्ट एक्सीडेन्ट्स हायर्ड लेबर के और 40 परसेन्ट किसान के जन, बच्चों के होते हैं। इस लिये कानून में इन्शोरेंस का जो प्रावीजन रखा है उस से न सिर्फ हायर्ड लेबर को फायदा होगा, बल्कि किसान के कुनबे के जो लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं उन को भी फायदा होगा।

एक आनरेबिल मेम्बर ने कहा कि उन के अन्दर कम्पेन्सेशन देने की शक्ति नहीं होगी। इसी लिये तो इंशोरेंस पालिसी को लाजमी किया गया है, उस सूरत में यह रकम इन्शोरेंस कारपोरेशन की तरफ से मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा अगर कोई ईन्शोरेंस पालिसी नहीं लेता है तो क्या बंदोबस्त है? उस सूरत में भी वह नहीं बचेगा, उस को कम्पेन्सेशन का पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा।

16.59 hrs.

[Mr. SPEAKER : *in the Chair*]

श्री अब्दुलरशीद काबुली : इस का स्कोप लाजमी बना दीजिये, तब ठीक है।

राव बीरेन्द्र सिंह : लाजमी बनाया है। अगर किसी की निगाह से बच जाय तो भी कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये।

1980 में पंजाब में एक स्टडी कराई गई थी। ज्यादा मशीनें और थ्रेशर पंजाब हरियाणा और यू. पी. के अन्दर इस्तेमाल होते हैं। मिर्धा साहब यह मालूम करना चाहते थे कि कितने एक्सीडेन्ट्स होते हैं। मैं उन को यह बताना चाहता हूं कि इन थ्रेशरों से दस हजार के पीछे 13 एक्सीडेंट्स पंजाब में हुए हैं, ऐसा अन्दाजा लगाया गया है। पंजाब में 1980 से 2 लाख से ऊपर थ्रेशर इस्तेमाल हो रहे थे, जिन में एक्सीडेन्ट्स की तादाद 0.13 परसेन्ट थी यानी करीब 300 एक्सीडेंट्स वहां पर हुए हैं और सारे देश में सन, 1980 में हजार के करीब एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिन में से 92 फीसदी मेजर एक्सीडेन्ट्स हैं और उन में से 62 प्रतिशत लोगों का दाहिना हाथ कट गया और कोई 40 फीसदी के बायां हाथ कट गया और 38 फीसदी ऐसे हैं, जिन के कम चोटें आई हैं।

17. hrs.

MR. SPEAKER : May I interrupt you, Rao Sahib? If you are to take four or five minutes only we can do it now. If not, we will take it up later on.

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं दो-चार मिनट में खत्म कर देता हूं ताकि यह आज खत्म हो जाए। अब जितने प्वाइन्ट्स इस में मेम्बरों ने उठाए हैं, मैं उन की तसल्ली कराना चाहूंगा कि इस में जो मशीनें इस्तेमाल होंगी, तो उनको इस्तेमाल नहीं सकेगा। हमारा पहला मकसद तो अच्छी मशीनें बनवाने का होगा और पहली पाबन्दी तो हम मशीन बनाने वालों पर लगाएंगे कि वे अच्छी मशीनें बनाएं और दूसरी पाबन्दी मशीन इस्तेमाल करने वालों पर लगाएंगे कि वे सही तरीके से मशीनें खरीद कर इस्तेमाल करें। उनके पास पहले से जो मशीनें हैं, उन में वे छः महीने के अन्दर सेफ्टी डिवाइस लगवा लें अपनी हिफाजत के लिए और वर्कर्स की हिफाजत के लिए। यह जरूरी है और इस में हम ने सजा भी रखी है उन लोगों के लिए जो इस को नहीं मानेगें। कुछ मेम्बरों ने कहा है कि सजा

कम है । 6 मशीने की सजा कम नहीं होती है लेकिन अगर कोई दूसरी बार आफेंस करेगा तो हम यह इस में रख रहे हैं कि 3 महीने की सजा जरूर हो अगर कोर्ट से कंविशन होता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : दूसरी दफा 6 महीने की बजाई एक साल की सजा आप रखिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अगर ऐसे केसेज में फांसी देना चाहें, तो वह हम नहीं कर सकते । मैं उसके लिए तैयार नहीं है ।

श्री वी. डी. सिंह (फूलपुर) : सब स्टैन्डर्ड मशीनों के लिए आप क्या करेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जो ऐसी मशीनें बनाएंगे उन को सजा मिलेगी और वे पकड़े जाएंगे । लाइसेंसिंग होगा हर एक मशीन बनाने वाले की और मशीन बनाने वाला किसान को इस बात की तसल्ली कराएगा कन्ट्रोलर से या दूसरे अफसर से कि जो मशीन वह इस्तेमाल करेगा, वह स्पेसीफिकेशन के मुताबिक है और सेफ मशीन है । तो ये सारी चीजें इसके अन्दर रखी गई हैं । इस में हैरसमेंट इन्सपेक्टर लेबिल पर हो सकता है, मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता लेकिन इस एक्ट का इम्पलीमेन्टेशन आखिरकार स्टेट्स की मार्फत होगा उनमें स्टेट्स अपने रूल्स बनाएंगी और सेन्टर भी रूल्स बनाएगा । उसमें हम गाइडेंस भी देंगे और डाइरेक्टिव भी दे सकते हैं । कोशिश यह करेंगे कि कहीं हैरसमेंट किसान का न हो । तो इस में जितना हम कर सकते हैं, वह आपकी सलाह से करेंगे । आयन्दा भी पार्लियामेंट इस बात की देखभाल कर सकती है । जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे यह काम होगा, वह भी इस को देखेगी और स्टेट्स में भी इस की देखभाल होगी । यहां भी हम इस की देखभाल करेंगे । इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हाउस इस बिल को पास करे ।

MR. SPEAKER : The questions is : "That the Bill to provide for the regulation of trade and commerce in, and production, supply, distribution and use of, the product of any industry producing dagnerous machines with a view to securing the welfare of labour operating any such machine and for payment of compensation for the death or bodily injury suffered by any labourer while operating any such machine, and for matters connected therewith or incidental there to, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : We shall take up the Clause by Clause consideration later on.

RAO BIRENDRA SINGH : Please, take it now.

MR. SPEAKER : No. Tomorrow.

AN HON. MEMBER : Tomorrow. after 6 P.M.

RAO BIRENDRA SINGH : Tomorrow, after 6 P.M. ?

MR. SPEAKER : The House has to take up a discussion on the statement maid by the Prime Minister in the House on 12 August, 1983 on the situation in Shri Lanka.

17.05 hrs.

DISCUSSION ON THE STATEMENTS MADE BY PRIME MINISTER ON AUGUST 12, 1983 ON SITUATION IN SRI LANKA.

MR. SPEAKER : The House will now take up a discussion on the statement made by the Prime Minister in the House on 12 August, 1983 on the situation in Shri Lanka.